तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील/एल.आर./11939/1999/जयपुर** **नेन्नछा बनाम मन्दिर बाराजी**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल–पीठ
श्री गौरव बजाड़, सदस्य

उपस्थितः–
1– श्री जी.बाढ़दार, अभिभाषक अपीलांट।
2– श्री राजाराम चौधरी, अभिभाषक रेस्पो0

निर्णय

दिनांक – 17.03.2025

यह अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विद्वान अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जयपुर के निर्णय दिनांक 04–10–1999, अपील सं0 46/98 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। जिसमें विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा अपने आक्षेपित निर्णय से अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 30–05–1998 को यथावत् रखा गया है।

2– प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, आमेर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया जिसमें विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 30–05–1998 से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया है। जिसकी अपील अपीलांटान द्वारा विद्वान सम्भागीय आयुक्त, जयपुर में करने पर उन्होंने भी अपने निर्णय दिनांक 04–10–1999 से अपील अपीलांट अस्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, आमेर के निर्णय दिनांक 30–05–1998 को यथावत् रखा है। इसी निर्णय के विरुद्ध प्रार्थीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

3– विद्वान अभिभाषकगण की अपील पर बहस सुनी गयी।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील/एल.आर./11939/1999/जयपुर** **नेन्नछा बनाम मन्दिर बाराजी**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	4– विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय न्याय, नियम व रिकॉर्ड के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है। वादग्रस्त आराजी निजी मन्दिर की है या सार्वजनिक। इस संबंध में अधीनस्थ न्ययालय ने सक्षम न्यायालय से तय कराने की हिदायत दी है जो कि गलत है क्योंकि अपीलांट व तरतीबी रेस्पो0 ने स्पष्ट तौर पर यह उज्र लिया है कि मन्दिर बाराजी एक निजी मन्दिर है। इस संबंध में उनकी ओर से नेन्नछा, लालाराम व चन्दाराम द्वारा शपथपत्र पेश किये गये लेकिन रेस्पो0 नं0 1 की तरफ से इसका कोई खण्डन नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सम्वत् 1987 की मिसल हकीयत की नकल प्रस्तुत हुई, जिसमें उर्दू में जो नोट लगा हुआ है उसमें तत्कालीन जयपुर रियासत के सक्षम अधिकारियों के आदेशों का हवाला है। उसके अनुसार उक्त आराजीयात जो अपीलांट व तरतीबी रेस्पो0 की खातेदारी की है, वह मन्दिर श्री ठाकुरजी बाराजी के माफी खुद काश्त की कतई दर्ज नहीं है जबकि उक्त भूमि (खसरा नं0 86, 92, 101, 102 व 261) मन्दिर बाराजी की माफी व खुद काश्त में नहीं है तो फिर धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम में नये सिरे से खातेदारी देने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। अपीलांट व तर0 रेस्पो0 2 ल0 10 के बुर्जुगान का राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के प्रभाव में आने से पूर्व से ही बहैसियत काश्तकार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन चला आ रहा है। उसको सरसरी तौर पर धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम के तहत निरस्त नहीं किया जा सकता है। अपीलांट व तर0 रेस्पो0 के नाम वादग्रस्त आराजीयात खातेदारी सम्वत् 2022 से है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, आमेर की पत्रावली में ऑफिस कानूनगो की रिपोर्ट दिनांक	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील/एल.आर./11939/1999/जयपुर** **नेन्नछा बनाम मन्दिर बाराजी**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

12-02-1996 के मद नं0 2 में स्पष्ट रूप से लिखा है कि सम्वत् 2016 से 2019 में मन्दिर बाराजी का नाम नहीं है बल्कि उसमें खातेदारी मालियान के नाम दर्ज है, अर्थात अपीलांट व तर0 रेस्पो0 के नाम है। वादग्रस्त आराजीयात कभी भी मन्दिर बाराजी के खुद काश्त में नहीं रही है बल्कि वादग्रस्त आराजीयात की जॉच रिपोर्ट दिनांक 18-09-1996 के अनुसार 71 साल से अपीलांटान व तर0 रेस्पो0 के कब्जे में चली आ रही है।

अतः अपील अपीलांटान स्वीकार की जाकर अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जयपुर के निर्णय दिनांक 04-10-1999 एवं उपखण्ड अधिकारी के निर्णय दिनांक 30-05-1998 को निरस्त किया जावे।

उन्होंने अपने समर्थन में 1991 आर0आर0डी0 पेज 6, 2000 आर0आर0डी0 पेज 14, 109, 189, 2001 आर0आर0डी0 पेज 309, 2007 आर0आर0डी0 पेज 640, 2011 आर0बी0जे0 पेज 70, 2015 आर0बी0जे0 पेज 486 एवं राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 24-05-2007, 06-01-2010 एवं 25-11-2011 की प्रतियां पेश की हैं।

5- प्रत्युत्तर में विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 ने अपीलांट के तथ्यों का विरोध करते हुए अपनी बहस में तर्क दिये हैं कि विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, आमेर के समक्ष मन्दिर बाराजी जमवारामगढ़ जरिये रामशरण पुजारी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया। जिसे विचारण न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 30-05-1998 से सही स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी मन्दिर श्री बाराजी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित किये जाने के आदेश प्रदान किये गये हैं जिसकी अपील अपीलांटान द्वारा विद्वान सम्भागीय आयुक्त, जयपुर में होने पर उन्होंने भी अपने

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील/एल.आर./11939/1999/जयपुर** **नेन्नछा बनाम मन्दिर बाराजी**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	निर्णय दिनांक 04–10–1999 से अपील अपीलांट अस्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, आमेर के निर्णय दिनांक 30–05–1998 की पुष्टि की है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष होने के कारण अपील अपीलांटान खारिज किये जाने योग्य है। 6– उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी एवं अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों का आद्योपान्त अवलोकन व परिशीलन किया गया। 7– पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थी द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, आमेर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया जिसमें विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 30–05–1998 से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी मन्दिर श्री बाराजी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित किये जाने के आदेश प्रदान किये गये हैं। जिसकी अपील अपीलांटान द्वारा विद्वान सम्भागीय आयुक्त, जयपुर में होने पर उन्होंने भी अपने निर्णय दिनांक 04–10–1999 में उल्लेखित किया है कि मन्दिर आम जनता का मन्दिर नहीं होकर यह मन्दिर निजी है। वादग्रस्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में मन्दिर बाराजी के नाम दर्ज है। उक्त इन्द्राज के परिवर्तन का कोई आधार नहीं है बल्कि राजस्थान सरकार के परिपत्र दिनांक 13–12–1991 के अनुसार माफी मन्दिर की भूमि मन्दिर के नाम ही रखे जाने के आदेश प्रदान किये गये हैं। इसलिए अपील अपीलांट अस्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, आमेर के निर्णय दिनांक 30–05–1998 की पुष्टि की है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय समवर्ती है जिसमें हस्तक्षेप किये जाने का कोई आधार नहीं होने के कारण अपील अपीलांट खारिज किये	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील/एल.आर./11939/1999/जयपुर** **नेन्नछा बनाम मन्दिर बाराजी**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

जाने योग्य है।

8- विद्वान अभिभाषक अपीलांट की ओर से जो न्याय दृष्टान्त पेश किये गये हैं, वे प्रस्तुत प्रकरण में चस्पा नहीं होते हैं।

9- अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट गुणावगुण पर सारहीन होकर स्वीकार योग्य नहीं होने से **खारिज** की जाती है। उपखण्ड अधिकारी, आमेर के निर्णय दिनांक 30-05-1998 एवं अति0 सम्भागीय आयुक्त, जयपुर का निर्णय दिनांक 04-10-1999 यथावत् रखे जाते हैं।

10- पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गौरव बजाड़)
सदस्य